



सत्यमेव जयते

The Gujarat Government Gazette

EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. LV]

WEDNESDAY, APRIL 2, 2014/CAITRA 12, 1936

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

PART IV-C

Statutory Rules and Orders (Other than those published in Parts I, I-A and I-L) made by Statutory Authorities other than the Government of Gujarat including those made by the Government of India, the High Courts, the Director of Municipalities, the Commissioner of Police, the Director of Prohibition and Excise, the District Magistrates and the Election Commission, Election Tribunals, Returning Officers and other authorities under the Election Commission.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi -110001

Dated :- 2nd April, 2014.

12 Chaitra, 1936 (Saka)

NOTIFICATION

No100/GJ-LA/1/2014:- WHEREAS, the seat of Shri Chhabilbhai Naranbhai Patel, in the Legislative Assembly of the State of Gujarat elected from 01-Abdasa Assembly Constituency has become vacant on 24th February, 2014 by reason of his resignation: and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
3. Now, therefore, in pursuance of sub section (1) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) **Calls upon** the said 01-Abdasa Assembly Constituency in the State of Gujarat, to elect, before the 28th May, 2014 (Wednesday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- (a) the 9th April,2014 (Wednesday) as the last date for making nominations;
- (b) the 10th April,2014 (Thursday) as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 12th April,2014 (Saturday) as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 30th April, 2014(Wednesday) as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;
- (e) the 28th May, 2014 (Wednesday) as the date before which the election shall be completed; and

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,

K.AJAY KUMAR
PRINCIPAL SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

तारीख:- 02 अप्रैल, 2014

12 चैत्र, 1936(शक)

अधिसूचना

100/गुजरात-वि.स./1/2014:-यतः गुजरात राज्य की विधान सभा में 01-अबडासा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री छबीलभाई नारनभाई पटेल के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 24 फरवरी, 2014 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;
3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा

(1) और धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा:-

(क) गुजरात राज्य से उक्त 01-अबडासा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 28 मई, 2014 (बुद्धवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(ख) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:-

- (क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख: 09 अप्रैल, 2014 (बुधवार)
- (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख: 10 अप्रैल, 2014 (बृहस्पतिवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख: 12 अप्रैल, 2014 (शनिवार)
- (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा: 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार)
- (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: 28 मई, 2014 (बुधवार)

नियत करता है; और

- (ग) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से

के. अजय कुमार
प्रधान सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA**Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001**

Dated:- 2nd April, 2014
12 Chaitra, 1936 (Saka)

NOTIFICATION

No100/GJ-LA/2/2014:- WHEREAS, the seat of Shri Patel Vaghajibhai Dharamshibhai, in the Legislative Assembly of the State of Gujarat elected from 6-Rapar Assembly Constituency has become vacant on 30th January, 2014 by reason of his death: and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **Now, therefore**, in pursuance of sub section (1) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) Calls upon the said 6-Rapar Assembly Constituency in the State of Gujarat, to elect, before the 28th May, 2014 (Wednesday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- (a) the 9th April,2014 (Wednesday) as the last date for making nominations;
- (b) the 10th April,2014 (Thursday) as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 12th April,2014 (Saturday) as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 30th April, 2014(Wednesday) as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;
- (e) the 28th May, 2014 (Wednesday) as the date before which the election shall be completed; and

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,

K.AJAY KUMAR
PRINCIPAL SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

तारीख:- 02 अप्रैल, 2014

12 चैत्र, 1936(शक)

अधिसूचना

100/गुजरात-वि.स./2/2014:-यतः गुजरात राज्य की विधान सभा में 06-रापर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री पटेल वाघाजीभाई धर्मशीभाई की मृत्यु होने के परिणामस्वरूप दिनांक 30 जनवरी, 2014 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;
3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा

(1) और धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(क) गुजरात राज्य से उक्त 06-रापर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है

कि उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार

28 मई, 2014 (बुद्धवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक

व्यक्ति निर्वाचित करें;

(ख) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:-

- | | | |
|-----|---|-------------------------------|
| (क) | नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख: | 09 अप्रैल, 2014 (बुधवार) |
| (ख) | नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख: | 10 अप्रैल, 2014 (बृहस्पतिवार) |
| (ग) | अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख: | 12 अप्रैल, 2014 (शनिवार) |
| (घ) | वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा: | 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार) |
| (ङ) | वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: | 28 मई, 2014 (बुधवार) |

नियत करता है; और

- (ग) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से

के. अजय कुमार
प्रधान सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA**Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001**

Dated:- 2nd April,2014
12 Chaitra, 1936 (Saka)

NOTIFICATION

No100/GJ-LA/31-2014 :- WHEREAS, the seat of Shri Chavda Rajendrasinh Ranjitsinh (Rajubhai Chavda), in the Legislative Assembly of the State of Gujarat elected from 27-Himatnagar Assembly Constituency has become vacant on 20th February ,2014 by reason of his resignation: and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **Now, therefore**, in pursuance of sub section (1) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) **Calls upon** the said 27-Himatnagar Assembly Constituency in the State of Gujarat, to elect, before the 28th May,2014 (Wednesday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- (a) the 9th April,2014 (Wednesday) as the last date for making nominations;
- (b) the 10th April,2014 (Thursday) as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 12th April,2014 (Saturday) as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 30th April, 2014(Wednesday) as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;
- (e) the 28th May, 2014 (Wednesday) as the date before which the election shall be completed; and

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,

K.AJAY KUMAR
PRINCIPAL SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

तारीख:- 02 अप्रैल, 2014

12 चैत्र, 1936(शक)

अधिसूचना

100/गुजरात-वि.स./3/2014:-यतः गुजरात राज्य की विधान सभा में 27-हिंमतनगर

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री चावदा राजेन्द्रसिंह रणजीतसिंह (राजूभाई चावदा) के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 20 फरवरी, 2014 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा

(1) और धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(क) गुजरात राज्य से उक्त 27-हिंमतनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता

है कि उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के

अनुसार 28 मई, 2014 (बुद्धवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के

प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(ख) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:-

- (क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख: 09 अप्रैल, 2014 (बुधवार)
- (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख: 10 अप्रैल, 2014 (बृहस्पतिवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख: 12 अप्रैल, 2014 (शनिवार)
- (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा: 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार)
- (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: 28 मई, 2014 (बुधवार)

नियत करता है; और

(ग) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है

जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से

के. अजय कुमार
प्रधान सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA**Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001****Dated:- 2nd April, 2014**
12 Chaitra, 1936 (Saka)**NOTIFICATION**

No100/GJ-LA/4/-2014:- WHEREAS, the seat of Shri Keshubhai Savdasbhai Patel, in the Legislative Assembly of the State of Gujarat elected from 87-Visavadar Assembly Constituency has become vacant on 13th February, 2014 by reason of his resignation: and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
3. **Now, therefore**, in pursuance of sub section (1) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) **Calls upon** the said 87-Visavadar Assembly Constituency in the State of Gujarat, to elect, before the 28th May, 2014 (Wednesday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- (a) the 9th April,2014 (Wednesday) as the last date for making nominations;
- (b) the 10th April,2014 (Thursday) as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 12th April,2014 (Saturday) as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 30th April, 2014(Wednesday) as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;
- (e) the 28th May, 2014 (Wednesday) as the date before which the election shall be completed; and

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,

K.AJAY KUMAR
PRINCIPAL SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

तारीख:- 02 अप्रैल, 2014

12 चैत्र, 1936(शक)

अधिसूचना

100/गुजरात-वि.स./4/2014:-यतः गुजरात राज्य की विधान सभा में 87-विसावदर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री केशुभाई सावदासभाई पटेल के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 13 फरवरी, 2014 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;
3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा

(1) और धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(क) गुजरात राज्य से उक्त 87-विसावदर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 28 मई, 2014 (बुद्धवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(ख) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:-

- (क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख: 09 अप्रैल, 2014 (बुधवार)
- (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख: 10 अप्रैल, 2014 (बृहस्पतिवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख: 12 अप्रैल, 2014 (शनिवार)
- (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा: 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार)
- (ङ.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: 28 मई, 2014 (बुधवार)

नियत करता है; और

- (ग) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से

कै. अजय कुमार
प्रधान सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA**Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001****Dated:- 2nd April, 2014**
12 Chaitra, 1936 (Saka)**NOTIFICATION**

No100/GJ-LA/5/-2014:- WHEREAS, the seat of Shri Barad Jasabhai Bhanabhai, in the Legislative Assembly of the State of Gujarat elected from 90-Somnath Assembly Constituency has become vacant on 19th February, 2014 by reason of his resignation: and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
3. **Now, therefore**, in pursuance of sub section (1) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) **Calls upon** the said 90-Somnath Assembly Constituency in the State of Gujarat, to elect, before the 28th May, 2014 (Wednesday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- (a) the 9th April,2014 (Wednesday) as the last date for making nominations;
- (b) the 10th April,2014 (Thursday) as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 12th April,2014 (Saturday) as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 30th April, 2014(Wednesday) as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;
- (e) the 28th May, 2014 (Wednesday) as the date before which the election shall be completed; and

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,

K.AJAY KUMAR
PRINCIPAL SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

तारीख:- 02 अप्रैल, 2014
12 चैत्र, 1936(शक)

अधिसूचना

100/गुजरात-वि.स./5/2014:-यतः गुजरात राज्य की विधान सभा में 90-सोमनाथ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री बारद जासाभाई भानाभाई के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 19 फरवरी, 2014 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;
3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा

(1) और धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(क) गुजरात राज्य से उक्त 90-सोमनाथ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 28 मई, 2014 (बुद्धवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(ख) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:-

- (क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख: 09 अप्रैल, 2014 (बुधवार)
- (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख: 10 अप्रैल, 2014 (बृहस्पतिवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख: 12 अप्रैल, 2014 (शनिवार)
- (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा: 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार)
- (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: 28 मई, 2014 (बुधवार)

नियत करता है; और

(ग) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है

जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से

के. अजय कुमार
प्रधान सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA**Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001****Dated:- 2nd April, 2014**
12 Chaitra, 1936 (Saka)**NOTIFICATION**

No100/GJ-LA/6/:2014:- WHEREAS, the seat of Shri Bavkubhai Nathabhai Undhad,, in the Legislative Assembly of the State of Gujarat elected from 96-Lathi Assembly Constituency has become vacant on 27th January, 2014 by reason of his resignation: and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **Now, therefore**, in pursuance of sub section (1) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) **Calls upon** the said 96-Lathi Assembly Constituency in the State of Gujarat, to elect, before the 28th May, 2014 (Wednesday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- (a) the 9th April, 2014 (Wednesday) as the last date for making nominations;
- (b) the 10th April, 2014 (Thursday) as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 12th April, 2014 (Saturday) as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 30th April, 2014 (Wednesday) as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;
- (e) the 28th May, 2014 (Wednesday) as the date before which the election shall be completed; and

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,

K. AJAY KUMAR
PRINCIPAL SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

तारीख:- 02 अप्रैल, 2014

12 चैत्र, 1936(शक)

अधिसूचना

100/गुजरात-वि.स./6/2014:--यतः गुजरात राज्य की विधान सभा में 96-लाठी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री बावकुभाई नाथाभाई उनघाड के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 27 जनवरी, 2014 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;
3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा

(1) और धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(क) गुजरात राज्य से उक्त 96-लाठी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 28 मई, 2014 (बुद्धवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(ख) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:-

- (क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख: 09 अप्रैल, 2014 (बुधवार)
- (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख: 10 अप्रैल, 2014 (बृहस्पतिवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख: 12 अप्रैल, 2014 (शनिवार)
- (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा: 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार)
- (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: 28 मई, 2014 (बुधवार)

नियत करता है; और

- (ग) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से

के. अजय कुमार
प्रधान सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA**Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001****Dated:- 2nd April, 2014**
12 Chaitra, 1936 (Saka)**NOTIFICATION**

No100/GJ-LA/7/2014 - WHEREAS, the seat of Shri Vasava Parbhubhai Nagarbhai, in the Legislative Assembly of the State of Gujarat elected from 157-Mandvi(ST) Assembly Constituency has become vacant on 24th February, 2014 by reason of his resignation: and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
3. Now, therefore, in pursuance of sub section (1) of section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) Calls upon the said 157-Mandvi(ST) Assembly Constituency in the State of Gujarat, to elect, before the 28th May, 2014 (Wednesday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person belonging to any of the Scheduled Tribes of the state for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- (a) the 9th April,2014 (Wednesday) as the last date for making nominations;
- (b) the 10th April,2014 (Thursday) as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 12th April,2014 (Saturday) as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 30th April, 2014(Wednesday) as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;
- (e) the 28th May, 2014 (Wednesday) as the date before which the election shall be completed; and

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,

K.AJAY KUMAR
PRINCIPAL SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

तारीख:- 02 अप्रैल, 2014

12 चैत्र, 1936 (शक)

अधिसूचना

100/गुजरात-वि.स./7/2014:-यतः गुजरात राज्य की विधान सभा में 157-मांडवी

(अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री वसावा प्रभुभाई नागरभाई के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 24 फरवरी, 2014 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;
3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा

(1) और धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(क) गुजरात राज्य से उक्त 157-मांडवी (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वे 28 मई 2014 (बुधवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के अनुसार राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उक्त राज्य से संबंध रखने वाली अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित करें;

(ख) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:-

- (क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख: 09 अप्रैल, 2014 (बुधवार)
- (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख: 10 अप्रैल, 2014 (बृहस्पतिवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख: 12 अप्रैल, 2014 (शनिवार)
- (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा: 30 अप्रैल, 2014 (बुधवार)
- (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: 28 मई, 2014 (बुधवार)

नियत करता है; और

(ग) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है

जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से

के. अजय कुमार
प्रधान सचिव
भारत निर्वाचन आयोग